



2026:AHC:51221

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट- ए संख्या - 1423 वर्ष 2026

सुषमा

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : शिवेंद्र कुमार गुप्ता

प्रतिवादी के अधिवक्ता : प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव, सी.एस.सी., सतीश चतुर्वेदी

कोर्ट नंबर - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शिवेंद्र कुमार गुप्ता, राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव तथा बैंक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पी.पी. श्रीवास्तव को सुना गया।
2. दिनांक 03.03.2026 को रिट याचिका पर विचारोपरांत, विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा बैंक के अधिवक्ता श्री पी.पी. श्रीवास्तव द्वारा निर्देश (इंस्ट्रक्शंस) प्रस्तुत किए गए हैं।
3. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसके पति जो वर्ष 1989 से कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे का दिनांक 04.08.2025 को निधन हो गया। रिट याचिकाकर्ता द्वारा बीमा राशि जो पी.एस.पी. के अंतर्गत देय है के भुगतान हेतु दावा प्रस्तुत किया गया किंतु पुलिस विभाग द्वारा दिनांक 18.09.2025 को बैंक को प्रेषित पत्र के बावजूद उक्त भुगतान नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप वर्तमान रिट याचिका दायर की गई।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि दिनांक 18.09.2025 को पूर्व में ही बैंक को भुगतान करने हेतु एक संप्रेषण प्रेषित किया जा चुका है तथा इसके पश्चात भी अनुवर्ती पत्र बैंक को संबोधित किए गए, तथापि बैंक द्वारा अब तक भुगतान नहीं किया गया है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. बैंक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पी.पी. श्रीवास्तव यह प्रस्तुत करते हैं कि यद्यपि रिट याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु आकस्मिक (दुर्घटनाजन्य) नहीं थी, अतः प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता उक्त लाभों की पात्र नहीं है, तथापि उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में अंतिम एवं सुविचारित निर्णय स्वयं बैंक द्वारा लिया जाएगा।

6. पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा अभिलेखों के अवलोकन के पश्चात, यह रिट याचिका इस प्रकार **निस्तारित** की जाती है कि प्रतिवादी संख्या-3, शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा खुर्जा, जनपद बुलंदशहर को यह निर्देश दिया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दावे पर सुविचारित निर्णय लेने के लिए आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर निर्णय लिया जाए।

7. आज प्रस्तुत किए गए निर्देशों को अभिलेखों में संलग्न किया जाता है तथा इसे परिशिष्ट 'बी' के रूप में अंकित किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

12 मार्च, 2026

राजेश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।